



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1938 (श0)  
(सं0 पटना 812) पटना, बुधवार, 5 अक्टूबर 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं  
30 सितम्बर 2016

एस0ओ0 255, दिनांक 5 अक्टूबर 2016— न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1(अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2001-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
जनवरी, 2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
फरवरी, 2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
मार्च, 2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
अप्रैल, 2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
मई, 2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
जून, 2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
योग :-			37137.71

औसत :- 37137.71 ÷ 6 = 6189.61

## अनुसूची-1(ब)

कृषि नियोजन, अधिसूचना सं०- 2780, 2781 दिनांक 28.09.2011

(गजट संख्या- 559 दिनांक 29.09.2011)

## अनुसूची-1।

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	निर्धारित न्यूनतम मजदूरी + दिनांक 01.04.2012+01.10.2012 + 01.04.2013 + 01.10.2013+ 01.04.2014+01.10.2014+01.04.2015 +01.10.2015+01.04.2016 से लागू परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (रुपये में)	परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी होगी। (रुपये में)	दिनांक 01.10.2016 से लागू कुल मजदूरी की दरें (स्तंभ 3+4) (रुपये में)
1	2	3	4	5
1	कटनी कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए ।	138.00+7.00+6.00+11.00+8.00+7.00 +1.00+8.00+3.00+8.00=197.00	3.00	200.00 प्रतिदिन
2	ट्रेक्टर ड्राईवर एवं पम्प ऑपरेटर ।	4967.00+248.00+209.00+380.00+ 290.00+264.00+49.00+298.00+100.00+ 298.00=7103.00	99.00	7202.00 प्रतिमाह
3	ट्रेक्टर खलासी / पम्प खलासी/ चौकीदार/सिपाही/ हलवाहा ।	3864.00+193.00+162.00+295.00+ 226.00+206.00+39.00+232.00+77.00+ 232.00= 5526.00	77.00	5603.00 प्रतिमाह
4	कटनी	काटी गई फसल के 10 बोझा में एक बोझा ।		

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हैं। उपर्युक्त सूचकांक में यथोस्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस बिन्दु पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से **जनवरी-जून, 2016** के औसत के आधार पर **अक्टूबर, 2016** से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाही के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(सं० 5/एम०डब्लू०-402/09 श्र०सं०-4179)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरूण कुमार नं०-1,  
सरकार के अवर सचिव।

30 सितम्बर 2016

एस०ओ० 256, एस०ओ० 255, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

(सं० 5/एम०डब्लू०-402/09 श्र०सं०-4180)  
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
अरूण कुमार नं०-1,  
सरकार के अवर सचिव।

The 30<sup>th</sup> September 2016

S.O. 255 dated the 5<sup>th</sup> October 2016—In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

**SCHEDULE- 1-(A)**

Month & Year	Index N0 Base Year ( 2001-100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year ( 1960-100)
1	2	3	4
January,2016	269	4.63 X 4.93	6140.16
February,2016	267	4.63 X 4.93	6094.51
March,2016	268	4.63 X 4.93	6117.34
April,2016	271	4.63 X 4.93	6185.81
May,2016	275	4.63 X 4.93	6277.12
June,2016	277	4.63 X 4.93	6322.77
<b>Total</b>			<b>37137.71</b>
<b>Average :-</b>			<b>37137.71 ÷ 6 = 6189.61</b>

**Schedule-1(B)**

**Agriculture Operations**

**Notification No. - 2780, 2781 dated- 28.09.2011**

**Gazette No.- 559 dated 29.09.2011**

**Schedule-II**

Sl.	Category of Workers	Minimum Wages Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+ 01.04.2013+ 01.10.2013+01.04.2014 + 01.10.2014+01.04.2015 + 01.10.2015+01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date 01.10.2016	Total rates of Wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
1	All other agricultural operations except harvesting	138.00+7.00+6.00+11.00+8.00+7.00 +1.00+8.00+3.00+8.00 = 197.00	3.00	200.00 Perday
2	Tractor Driver and Pump operator	4967.00+248.00+209.00+380.00 +290.00+264.00+49.00+298.00 +100.00+298.00 = 7103.00	99.00	7202.00 Permonth

Sl.	Category of Workers	Minimum Wages Fixed + V.D.A from 01.04.2012+01.10.2012+ 01.04.2013+ 01.10.2013+01.04.2014 + 01.10.2014+01.04.2015 + 01.10.2015+01.04.2016 (In. Rs.)	Amount of V.D.A which is effective from the date 01.10.2016	Total rates of Wages effective from the date 01.10.2016 (Column 3+4)
1	2	3	4	5
3	Tractor Khalasi / Pump Khalasi/ Choukidar/ Sipahi	3864.00+193.00+162.00+295.00 + 226.00+206.00+39.00+232.00 +77.00+232.00 = 5526.00	77.00	5603.00 Permonth
4	Harvesting	<b>One bundle in 10 bundle of harvested crops.</b>		

The rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid index of the above schedule employments and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed/ revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **January-June, 2016** will be payable at the aforesaid rates from **October, 2016** and thereafter increase or decrease in the amount of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of the three said period of six months.

(No. 5/M.W- 402/09 L&R-4179)

By the order of the Governor of Bihar,  
Arun Kumar No.-1,  
*Under Secretary to Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 812-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>